

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर

दिनांक 12.01.2017

क्रमांक / उनिशि / मा / अज / संस्था-4 / फा-वअ सीमती / नियुक्ति / 2013-16 / 3299

क्रसं	मेरिट क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	वर्ग	जन्मतिथि	विषय	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान राजमावि / बाउमावि	विद्यमान वेतन / नियत पारिश्रमिक
1	R-28	GOPAL SINGH	MAHENDRA SINGH	गांव इन्द्राण्डा पोस्ट खोरी तहसील बानसूर जिला अलवर	GE	08-06-1992	अग्रेजी	GEN	सोलतपुरा, उनियारा	नियत पारिश्रमिक
2	R-161	PARMESHVAR LAL	HANUMANA RAM	ग्राम पो0 लाछडी तह लाङ्गू जिला नागौर	BC, NG	01-12-1991	अग्रेजी	OBC	नून्दा, मकराना	विद्यमान वेतन
3	R-538	PADAM KUMAR BAIRWA	BANSI LAL	अम्बेडकर कॉलोनी कृषि मण्डी के सामने टोंक जिला टोंक	SC	02-07-1980	अग्रेजी	SC	गवाडिया, मसूदा अजमेर	नियत पारिश्रमिक
4	2153	AMRITA MEENA	AMAR CHAND MEENA	174, वाई नम्बर 112 लक्ष्मीनगर शांति निकेतन स्कूल के पास, कोटपुतली जयपुर	ST, WE	04-03-1987	गणित	ST	नारायणपुरा कुचामन नागौर	नियत पारिश्रमिक
5	R-222	BABULAL SHARMA	BIHARI LAL SHARMA	मु0पो0 मलिकपुर वाया बावडी जिला सीकर	GE, BL	20-09-1977	संस्कृत	GEN	गवाडिया, मसूदा अजमेर	नियत पारिश्रमिक
6	R-8	PRABHA SHARMA	MAHESH CHAND SHARMA	एच -25 जवाहर नगर कोटा	GE, WE, NG	26-06-1984	विज्ञान	GEN	गवाडिया, मसूदा अजमेर	विद्यमान वेतन
7	R-192	RAJENDRA FARODA	RAMNIWAS FARODA	दोजराज गणेश मंदिर रोड डीडवाना जिला नागौर	BC	04-05-1987	विज्ञान	OBC	हनुमान नगर नागौर	नियत पारिश्रमिक


*Chh*  
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
अजमेर मण्डल, अजमेर

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर

क्रमांक / उनिशि / मा / अज / संस्था-4 / फा-वअ सीभर्ती / नियुक्ति / 2011-16 / 3298

दिनांक 12.01.2017

क्रसं	मेरिट क्रमांक	नाम अस्थर्धी	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	विषय	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान उमावि / मावि / बाउमावि / बामावि	विद्यमान वेतन / नियत पारिश्रमिक
1	2062	SUMAN GUPTA	BINWARI LAL VIJAY	सीता निवास, 18-अवधपुरी-प्रथम, महेशानगर, टोंकफाटक जिला जयपुर	GE, WE, WD	03-05-1976	सा0विज्ञान	GEN	काकनियास अजमेर	विद्यमान वेतन
2	2317	JAGDISH PRASAD	SITA RAM	गाँव सिरोंड खूर्द पोस्ट सरायकलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर	BC, EX	05-07-1973	सा0विज्ञान	BC	देर की ढाणी सिनोदिया अजमेर	नियत पारिश्रमिक
3	2322	RAM BILAS KHATANA	SURIAN SINGH KHATANA	बैराठ होटल के पास, घोडा फेर सर्किल जयपुर रोड जिला अलवर	SB, EX	15-8-1970	सा0विज्ञान	SBC	किशनपुरा टोंक	नियत पारिश्रमिक
4	2324	SUBE SINGH	HARI SINGH YADAV	गाँव दौलतसिंहपुरा नीमराना जिला अलवर	BC, EX	10-01-1973	सा0विज्ञान	OBC	बा0मिण्डा नांवा नागौर	नियत पारिश्रमिक
5	1324	MAHAVEER PRASAD JAT	KALYANMAL JAT	गाँव कोटडा पो चरनेट तह दूनी जिला टोंक	BC,	25-07-1981	हिन्दी	OBC	बा0बनेठा टोंक	नियत पारिश्रमिक

  
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
अजमेर मण्डल, अजमेर

## कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा अजमेर मण्डल, अजमेर

### कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2013 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा रिशफल/आरक्षित परिणाम द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी, गणित, संस्कृत विज्ञान) पद पर भर्ती परीक्षा 2013 हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड वेतन 4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंशिक किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर एतद्विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के निर्णय के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान करते हुवे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से राजकीय सेवा में होने की स्थिति में नियम 24 के अनुसार विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1- इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 तथा एफ 7(1)कार्मिक/क-2/45/पार्ट II दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एसं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 5- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 6- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभिशार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 के अनुसार धूमपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (अन्डरटकिंग) देनी होगी।
- 7- पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाइट [www.rajshiksha.gov.in](http://www.rajshiksha.gov.in) पर उपलब्ध है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 25-01-2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

( जीवराज जाट )

उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा  
अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांक/उनिशि/मा/अज/संस्था-4/फा-वअ सीभर्ती/नियुक्ति/2013-16/3299  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01-निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 02-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 03-सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 04-शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 05-जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) (प्रथम/द्वितीय)अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक
- 06-संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यग्रहण सूचना कार्यालय को तुरंत प्रेषित करावें।
- 07-संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
- 08-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा  
अजमेर मण्डल अजमेर

दिनांक 12.01.2017

## कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा अजमेर मण्डल, अजमेर

### कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2013 दिनांक 19.10.16 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा संशोधित परिणाम द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक ( हिन्दी व सामाजिक विज्ञान ) पद पर भर्ती परीक्षा 2011 हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड वेतन 4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर एतद्विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के निर्णय के अधधीन नियुक्ति प्रदान करते हुवे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/-(अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से राजकीय सेवा में होने की स्थिति में नियम 24 के अनुसार विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1- इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 08.04.2003 तथा एफ 7(1)कार्मिक/क-2/45/पार्ट 11 दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधधीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एसं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 5- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 6- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभिशार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 के अनुसार धूमपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (अन्डरटकिंग) देनी होगी।
- 7- पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाइट [www.rajshiksha.gov.in](http://www.rajshiksha.gov.in) पर उपलब्ध है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **25-01-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

( जीवराज जाट )  
उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा  
अजमेर मण्डल, अजमेर

कमांक/उनिशि/मा/अज/संस्था-4/फा-वअ सीभर्ती/ नियुक्ति/2011-16/3298

दिनांक 12.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01-निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 02-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 03-सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 04-शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 05-जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) (प्रथम/द्वितीय)अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक
- 06-संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यग्रहण सूचना कार्यालय को तुरंत प्रेषित करावें।
- 07-संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
- 08-रक्षित पत्रावली

( जीवराज जाट )  
उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा  
अजमेर मण्डल अजमेर